न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

ाद पत्र सं :: 56/2023

ीसीएमएस सं0 :: 2023/139

ावित्री देवी आयु 76 साल पत्नी स्व0 रामकुमार जाति कुम्हार (प्रजापति) नि0 शिश्यू तहसील ांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

– वादीया,

बनाम

1. मुन्नी देवी तथाकथित औरत भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. मनीष आयु 5 वर्ष पुत्र स्व0 भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण शिश्यू तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर नाबालिक जरिये माता मुन्नी देवी
3. सरिता देवी पुत्री स्व0 भंवरलाल पत्नी श्रीराम कुमावत जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी शिश्यू तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी ससूराल वा0नं0 21 भट्टा रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4. हल्का पटवारी शिश्यू तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5. उप तहसीलदार/उप पंजीयक पलसाना तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
6. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार, दांतारामगढ़, जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–. श्री सुरेश कुमावत , वकील वादीया की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती
राजस्व रिकॉर्ड अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम एंव 136 एलआरएक्ट।

निर्णय दिनांक :: 01.10.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आराजी कृषि भूमि ख0नं0 1801 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 1802 रकबा 0.85 है0 ख0नं0 1803 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1804 रकबा 0.90 है0 ख0नं0 1805 रकबा 1.55 है0 ख0नं0 1812 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 1813 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 1814 रकबा 0.04 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.76 है0 तथा ख0नं0 1808/1 रकबा 0.42 है0 ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां पैत्रिक कृषि भूमियां है, जिसमें पूर्व खातेदार रामकुमार पुत्र देबूराम का ख0नं0 1801 से 1805 व 1812 से 1814 में 1/2 हक व हिस्सा का तथा ख0नं0 1808/1 का संपूर्ण हिस्सा रामकुमार पुत्र देबूराम के नाम से रहा है। वादीया के पुत्र भंवरलाल पुत्र स्व0 रामकुमार की पत्नी विमला देवी से उत्पन्न एकमात्र जांयदा संतान प्रति0सं0 3 सरिता देवी है तथा वादीया के पुत्र भंवरलाल की पत्नी विमला देवी की मृत्यु हो जाने पर एक तथाकथित औरत मुन्नी देवी जिसने लोहरवाडा तन श्रीमाधोपुर जिला सीकर नि0 भरत कुमार कुमावत के साथ शादी की थी तथा उक्त शादी से भरत कुमार कुमावत व मुन्नी देवी के 2 संतान उत्पन्न हुई तथा मुन्नी देवी ने अपने पूर्व पति भरत कुमार के जीवनकाल में ही उसको छोडकर तथा भरत कुमार से विवाह विच्छेद की डिक्री सक्षम न्यायालय से प्राप्त किये बगैर ही उसकी

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

वैध विवाहिता पत्नी होते हुए वादीया के पुत्र स्व0 भंवरलाल के साथ लिव इन रिलेशन शिप में रहने लग गई थी तथा लिव इन रिलेशनशिप में रहते उसने एक पुत्र मनीष कुमार प्रति0सं0 2 को जन्म दिया था। कानूनन वादीया के पुत्र भंवरलाल की मृत्यु के बाद वादीया व प्रति0सं0 2 व 3 ही भंवरलाल की प्रथम श्रेणी के वैध वारिस है तथा वे ही भंवरलाल की संपदा के एकमात्र उत्तराधिकारी है। वादीया के पति स्व0 रामकुमार के विरासत का ना0करण सं0 3010 दिनांक 04.01.2022 को भरा गया तथा विरासत के नामान्तरण में स्व0 भंवरलाल के ख0नं0 1801 से 1805 व ख0नं0 1812 से 1814 में भंवरलाल के हिस्से 1/14 का नामान्तरण प्रति0सं0 1 ता 3 के नाम 1/42, 1/42, 1/42 हिस्सा भरा गया तथा ख0नं0 1808/1 में भंवरलाल के हिस्से का विरासत का नामान्तरण 1/21, 1/21, 2/21 प्रति0सं0 1 ता 3 के नाम भरा गया है। वादीया अपने पुत्र स्व0 भंवरलाल की प्रथम श्रेणी की वैध वारिस है तथा प्रति0सं0 1 वादीया के पुत्र भंवरलाल की वैध विवाहिता पत्नी नहीं होने के कारण प्रथम श्रेणी की वारिस नहीं है इसलिए उसे स्व0 भंवरलाल की संपदा में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीया को स्व0 भंवरलाल के हिस्से के विरासत के नामान्तरण में 1/3 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना आवश्यक है तथा प्रति0सं0 1 का नाम हजफ कर उसकी खातेदारी समाप्त किया जाना न्यायोचित है। वादिया ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 13 की उप मद क,ख,ग, घ अनुसार वाद वादीया डिक्री करने का निवेदन किया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 ता 6 बावजूद रजिस्ट्रर्ड तामील के हाजिर नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई।

वादी ने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी ख0नं0 1808/1 वाके ग्राम शिश्यू, तह0 दांतारामगढ़,सीकर संवत् 2076–79 की प्रति प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी ख0नं0 1801 से 1805, 1812 से 1814 वाके ग्राम शिश्यू, तह0 दांतारामगढ़,सीकर संवत् 2076–79 की प्रति प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरण सं0 3010 दिनांक 4.1.2022, प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय जिला न्यायाधीश, सीकर के निर्णय दिनांक 09.09.2022 की प्रति पेश की एंव साक्ष्य में वादीया द्वारा स्वंय का शपथ पत्र पेश किया।

बहस के दौरान वकील वादीया द्वारा निवेदन किया गया कि रामकुमार के सात वारिस थे, जिनमें 4 लड़के, 2 लड़की एंव 1 पत्नी इस प्रकार से 1/7 हिस्सा होना था। रामकुमार का एक लड़का भंवरलाल था। भंवरलाल के एक बेटी सरिता थी। भंवरलाल की पत्नी खत्म हो गई। एक महिला मुन्नी देवी थी। वह भंवरलाल के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। उसका पहले वाले पति से तलाक नहीं हुआ था। उसके एक लड़का मनीष हुआ। इस प्रकार भंवरलाल के दो वारिस हो गये। भंवरलाल की पत्नी का कोई अधिकार नहीं बनता है। भंवरलाल का जो नामान्तकरण खुला वह सरिता का सरिता का हिस्सा 1/21, मनीष हिस्सा 1/21 व मुन्नी हिस्सा 1/21 दर्ज हो गया। मुन्नी का नाम हटकर भंवरलाल की मां को यह जमीन मिलनी चाहिए जो 1/21 हिस्सा बनता है। विरासत का जो नामान्तकरण खुला है, उसको हटाकर सरिता, मनीष व भंवरलाल की मां को 1/3,1/3 हिस्सा मिलना न्यायोचित होगा।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

बहस वकील वादीया सुनी। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित आराजी कृषि भूमि ख0नं0 1801 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 1802 रकबा 0.85 है0 ख0नं0 1803 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1804 रकबा 0.90 है0 ख0नं0 1805 रकबा 1.55 है0 ख0नं0 1812 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 1813 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 1814 रकबा 0.04 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.76 है0 तथा ख0नं0 1808/1 रकबा 0.42 है0 ग्राम शिश्यू तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियां पैत्रिक कृषि भूमियां है, जिसमें पूर्व खातेदार रामकुमार पुत्र देवूराम का ख0नं0 1801 से 1805 व 1812 से 1814 में 1/2 हक व हिस्सा का तथा ख0नं0 1808/1 का संपूर्ण हिस्सा रामकुमार पुत्र देवूराम के नाम से रहा है। वादीया के पुत्र भंवरलाल पुत्र स्व0 रामकुमार की पत्नी विमला देवी से उत्पन्न एकमात्र जांयदा संतान प्रति0सं0 3 सरिता देवी है तथा वादीया के पुत्र भंवरलाल की पत्नी विमला देवी की मृत्यु हो है। मुन्नी देवी भंवरलाल के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। उसका पहले वाले पति से तलाक नहीं हुआ था। मुन्नी देवी एंव भंवरलाल एक लड़का मनीष हुआ। इस प्रकार भंवरलाल के दो वारिस हो गये। भंवरलाल का जो नामान्तकरण खुला वह सरिता का हिस्सा 1/21, मनीष हिस्सा 1/21 व मुन्नी हिस्सा 1/21 दर्ज हो गया जबकि मुन्नी का नाम हटाकर भंवरलाल की मां को यह जमीन मिलनी चाहिए जो 1/21 हिस्सा बनता है। विरासत का जो नामान्तकरण खुला है, उसको निरस्त कर सरिता, मनीष व भंवरलाल की मां वादिया सावित्री देवी को 1/3,1/3 हिस्सा मिलना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में अवस्थित आराजी कृषि भूमि ख0नं0 1801 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 1802 रकबा 0.85 है0 ख0नं0 1803 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 1804 रकबा 0.90 है0 ख0नं0 1805 रकबा 1.55 है0 ख0नं0 1812 रकबा 0.15 है0 ख0नं0 1813 रकबा 0.20 है0 ख0नं0 1814 रकबा 0.04 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.76 है0 में मृतक भंवरलाल पुत्र स्व0 रामकुमार के हिस्से में से 1/42 हक हिस्से का तथा ख0नं0 1808/1 रकबा 0.42 है0 में भंवरलाल के हिस्से में वादिया सावित्री देवी को 1/21 भाग का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड से प्रति0सं0 1 मुन्नी देवी का नाम हजव किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रति0सं0 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवंधित किया जाता है कि वे वादिया को उसके कब्जे काश्त से वेदखल करने से बाज रहे । तहसीलदार, दांतारामगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
आर0ए0एस0
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर